Press Release
29/08/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली जोनल कार्यालय ने 45 वर्षीय जसमीत हकीमजादा, खाड़ी देशों से काम करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के फ़ॉरेन नारकोटिक्स किंगपिन डेज़िग्नेशन एक्ट के तहत 'महत्वपूर्ण विदेशी नशीले पदार्थों' का तस्कर' घोषित किया गया है, के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिल्ली, अमृतसर, जालंधर, मुंबई, सोलापुर और इंदौर में 10 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। जसमीत हकीमजादा का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशी संपत्ति नियंत्रण के राजकोषीय कार्यालय द्वारा स्पेशली डेसिग्नेटेड नैशनल एंड ब्लॉक्ड व्यक्तियों की सूची में भी शामिल है। वह प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स से भी निकटता से जुड़ा हुआ है और कथित तौर पर खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) के पाकिस्तान स्थित स्वयंभू प्रमुख हरमीत सिंह @ पीएचडी का करीबी था।

ईडी ने जसमीत सिंह हकीमजादा और अन्य के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियों और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) और एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि दुबई में रहने वाला जसमीत हकीमजादा भारत में नार्को-टेरर नेटवर्क संचालित कर रहा था और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अपराध की आय (पीओसी) को अमृतसर स्थित पूर्ण विकसित धन विनियमकों (एफएफएमसी) की मदद से हवाला के जरिए दुबई भेज रहा था।

ईडी की जांच से यह भी पता चला कि हकीमजादा द्वारा नियंत्रित मादक पदार्थों केविक्रेताओं (ड्रग पेडलर्स) ने जसमीत हकीमजादा द्वारा संचालित भारत के विभिन्न बैंक खातों में नकदी भी जमा की थी। बैंक खातों में जमा की गई आपराधिक आय (पीओसी) का उपयोग उच्च मूल्य की वस्तुओं और हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में अचल संपत्तियों की खरीद के लिए किया गया था।

तलाशी अभियान के दौरान, दिल्ली में जसमीत हकीमज़ादा और उनकी पत्नी के नाम पर गुप्त बैंक लॉकरों का पता लगाया गया और पाया गया कि उनमें 1.06 किलोग्राम सोने और 370 ग्राम हीरे के बेहिसाब आभूषण हैं। ईडी ने तलाशी अभियान के दौरान सभी आभूषण जब्त कर लिए हैं।

आगे की जांच जारी है।